

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य के सील हेतु आदेश)
पत्रांक : 2209/वाद सं० सी-0703/एस-5/2023

दिनांक: 21.07.2023

6

श्री कपिल सहगल,
लेवर नेहरूग्राम, निकट चर्च,
देहरादून।

आपके द्वारा उपरोक्त स्थल पर लगभग 06 बीघा भूमि पर आम के बगीचे के कुछ पेड़ों को काटकर भूविन्यास का चिन्हीकरण करते हुए अवैध प्लॉटिंग किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009, की सुसंगत धाराओं अन्तर्गत कारण बताओ एवं स्थल पर अवैध निर्माण कार्य को रोकने हेतु नोटिस निर्गत करते हुये वाद सं० सी-0703/एस-5/2023 योजित किया गया था।

उपरोक्त वाद में दिनांक 03.07.2023 को उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2009, की धाराओं के अन्तर्गत आपको "कारण बताओ नोटिस" एवं निर्माण कार्य रोकने की सूचना प्रेषित की गयी। जिसे स्थल पर दिनांक 03.07.23 को चस्पा किया गया।

उक्त नोटिस के द्वारा आपको अवगत कराया गया कि, आप द्वारा किये जा रहे उपरोक्त अनाधिकृत निर्माण में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 05.07.23 की तिथि नियत की गयी, नियत तिथि पर विपक्षी अनुपस्थित रहे, विपक्षी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए कार्यालय पत्रांक 1945 दिनांक 11.07.2023 के माध्यम से सील हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए दिनांक 19.07.2023 की तिथि नियत की गयी नियत तिथि पर भी विपक्षी अनुपस्थित रहे। विपक्षी द्वारा आतिथि तक अपने निर्माण के सम्बन्ध में स्वीकृत तलपट मानचित्र/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा जानबूझ कर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जो कि न्यायोचित नहीं है।

अतः चालानशुदा अवैध निर्माण में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह जाता है। इसी क्रम में आपके द्वारा किये गये चालान शुदा अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।

—आदेश—

अतः विपक्षी श्री कपिल सहगल, लेवर नेहरूग्राम, निकट चर्च देहरादून द्वारा उपरोक्त वर्णित पते/स्थल पर लगभग 06 बीघा भूमि पर आम के बगीचे के कुछ पेड़ों को काटकर भूविन्यास का चिन्हीकरण करते हुए अवैध प्लॉटिंग किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009, की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किया जा रहा है। अतः चालानशुदा निर्माण को ध्वस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त अनाधिकृत प्लॉटिंग को दिनांक 21.7.23 को ध्वस्त किया जाना है। आदेश की प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाय। तदनुसार सूचित हो।

संयुक्त सचिव

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का नॉटिस नं० 2209/2023
श्री कपिल सहगल ने नॉटिस प्राप्त किया है।
21/7/2023